

कार्यालय
पत्र संख्या-रीएफओ/कार्यशील/2023-
रोग मे.

भ्रम्य

अग्निशमन

अधिकारी

प्रयागराज

दिनांक:- जून 6/2023

प्रो0/प्रमाणपत्र

जीवन ज्योति पब्लिक हाई स्कूल
घोड़ेडीह, भीरपुर, कर्चना, प्रयागराज।

विषय- जीवन ज्योति पब्लिक हाई स्कूल घोड़ेडीह, भीरपुर, कर्चना प्रयागराज में लगे अग्निशमन
व्यवस्थाओं/उपकरणों को कार्यशीलता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रो0/प्रबन्धक जीवन ज्योति पब्लिक हाई स्कूल घोड़ेडीह, भीरपुर,
कर्चना प्रयागराज द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के क्रम में स्कूल भवन में स्थापित जीवन रक्षा, प्रियेन्शन
एवं फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की स्थापना/कार्यशीलता का निरीक्षण श्री आर0 को राहत किया गया, जिसका
का निष्पत्ति निम्नवत है-

- 1-स्थल तक अग्निशमन के सभी प्रकार के वाहन आ-जा सकते हैं।
- 2- स्कूल भवन का वेसगेन्ट 80 वर्गमी0 मूलत तल, प्रथम तल, द्वितीय तल व तृतीय तल तक निर्मित है।
- 3-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण-फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0 मानक 2190 के अनुसार सीओ2 टाइप क्षमता 4.5 केजी 01 व 2 केजी 01 अदद एवीसी टाइप क्षमता 05 केजी 10 अदद, डीसीपी टाइप क्षमता 10 केजी 01 अदद एएफएफएफ 09 ली0 01 अदद स्थापित एवं कार्यशील दशा में पाये गये। जिसका निरीक्षण/परीक्षण शुल्क राजकीय कोष में चालान सं0 इएस/33957 से रु0 140 जमा करा दिया गया है।
- 4-फायर स्टेशन नैनी का सीयूजी मो0 नं0-9454418559, 9454418560 अंकित पाया गया।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है।

- 1- प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाना अपेक्षित है।
 - 2- किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।
 - 3- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाना अपेक्षित है।
 - 4-प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉकड्रिल/फायरड्रिल कराई जायें तथा इमरजेंसी इवेंट्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान की जाना अपेक्षित है।
 - 5- वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रियेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण-पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।
 - 6- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
 - 7- अग्निशमन उपकरणों का अनुरक्षण एवं मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण बनाये रखना आवश्यक होगा अथवा निर्गत किया जा रहा कार्यशीलता प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
- नोट-यह प्रमाण पत्र भवन के अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए मान्य नहीं होगा।

Manager
Jeevan Jyoti Public School
Bheerpur Karchhana, Allahabad

Principal
Jeevan Jyoti Public High School
Bheerpur, Ghoredeeh, Karchhana,
Prayagraj-212307

(आर0एस0एमि0)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज